

एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें

(महत्वपूर्ण) - कृपया सुनिश्चित करें कि आपने एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करने से पहले इन स्मार्ट पे कार्ड के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके आप यहां सूचीबद्ध नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार कर रहे हैं और उनसे बाध्य होंगे और आप प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विनियमों, आरबीआई के विनियम नियंत्रण विनियमन, अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों और समय-समय पर संशोधित/संशोधित/लागू और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आप एक्सिस बैंक के साथ अपने स्मार्ट पे कार्ड के संचालन के नियमों और शर्तों से भी बंधे रहेंगे।

परिभाषाएं

1. "द बैंक", "एक्सिस बैंक", का अर्थ है एक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशी।
2. "कार्ड" या "स्मार्ट पे कार्ड", एक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किए गए एक्सिस बैंक वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे डोमेस्टिक ओपन लूप स्मार्ट पे कार्ड को संदर्भित करता है।
3. "कार्डधारक", "आप", "आपका", "उसे" या इसी तरह के सर्वनाम, जहां संदर्भ इस तरह स्वीकार करता है, एक्सिस बैंक के एक ग्राहक को संदर्भित करेगा, जिसे एक्सिस बैंक द्वारा एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड जारी किया गया है। एक लिंग में कार्डधारक के सभी संदर्भों में दूसरा लिंग भी शामिल होगा।
4. "एटीएम", भारत में ऑटोमेटेड टेलर मशीन को संदर्भित करता है, चाहे वह एक्सिस बैंक की हो, या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक की, जिस पर अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक अपने स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग एक्सिस बैंक के पास रखे अपने स्मार्ट पे कार्ड में संग्रहीत अपने फंड तक पहुंचने के लिए कर सकता है।
5. "पिन", का अर्थ है एक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम तक पहुंचने के लिए आवश्यक), जिसे उसके द्वारा समय-समय पर चुना जाता है।
6. "लेनदेन", का अर्थ है कार्डधारक द्वारा अपने कार्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, स्मार्ट पे कार्ड पर कार्रवाई करने के लिए एक्सिस बैंक को दिया गया कोई भी निर्देश। (लेनदेन के उदाहरण खुदरा खरीद, नकद निकासी हो सकते हैं।)

7. "व्यापारी" या "व्यापारी प्रतिष्ठान", का अर्थ उन प्रतिष्ठानों से होगा जहां भी स्थित हैं जो कार्ड को स्वीकार करते हैं/सम्मान करते हैं और इसमें अन्य बातों के अलावा शामिल होंगे: एक्सिस बैंक या वीज़ा//मास्टरकार्ड/रुपे इंटरनेशनल द्वारा विज्ञापित स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, एयरलाइन संगठन आदि।
8. "ईडीसी" या "इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर" इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे वह एक्सिस बैंक या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, जो व्यापारी प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए कार्ड खाते को डेबिट करने की अनुमति देता है।
9. "वीज़ा", का अर्थ है वीज़ा के स्वामित्व वाला और सामान्य रूप से जुड़ा हुआ ट्रेडमार्क।
10. "वीज़ा एटीएम नेटवर्क", का अर्थ है एटीएम जो स्मार्ट पे कार्ड का सम्मान करते हैं और जो वीज़ा प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं।
11. 'रुपे' का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क
12. 'मास्टरकार्ड', का अर्थ है मास्टरकार्ड के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क स्मार्ट पे कार्ड ("कार्ड") एक्सिस बैंक लिमिटेड ("एक्सिस बैंक लिमिटेड") द्वारा जारी किया जाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय "त्रिशूल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, भारत" में निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

कार्ड की वैधता और कार्डधारक दायित्व

1. कार्ड जारी करना और उसका उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर लागू नियमों और विनियमों के अधीन होगा।
2. यह कार्ड केवल भारत में लेनदेन विकल्पों के लिए मान्य होगा, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर एक्सिस बैंक के एटीएम और वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों पर व्यापारी प्रतिष्ठानों पर अनुमति दी गई है।
3. कार्ड हर समय एक्सिस बैंक की संपत्ति है और होगी और एक्सिस बैंक के अनुरोध पर बिना शर्त और तुरंत एक्सिस बैंक को वापस कर दी जाएगी। कार्डधारक से अनुरोध है कि वह कार्ड सौंपने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक के अधिकारी की पहचान स्थापित कर ली गई है।
4. स्मार्ट पे कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या असाइन करने योग्य नहीं है।

5. आपको प्राप्त होने पर तुरंत कार्ड पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और कार्ड को हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखकर कार्ड को दुरुपयोग से बचाना चाहिए।
6. कार्डधारक को कार्ड या पिन के रूप में कार्डधारक द्वारा चुने गए किसी भी नंबर के साथ उपयोग के लिए जारी की गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन), केवल कार्डधारक को पता चलेगी और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और गैर-हस्तांतरणीय और सख्ती से गोपनीय है। पिन नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप में, स्थान या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग की सुविधा प्रदान कर सके। पिन का खुलासा किसी तीसरे पक्ष को, या तो बैंक के कर्मचारियों या व्यापारी प्रतिष्ठानों को, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अन्यथा।
7. कार्डधारक के कार्ड खाते को कार्ड के उपयोग से प्रभावित किसी भी निकासी, हस्तांतरण और अन्य लेनदेन की राशि से तुरंत डेबिट कर दिया जाएगा। कार्डधारक ऐसे किसी भी लेनदेन को पूरा करने के लिए अपने स्मार्ट पे कार्ड में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा।
8. कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड पर उपलब्ध किसी भी शेष राशि से अधिक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके धन निकालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्डधारक कार्ड के उपयोग से प्रभावित लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या नहीं, और कार्ड या संबंधित पिन के किसी भी अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ एक्सिस बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 या भारत में लागू किसी अन्य कानून के तहत बनाए गए आरबीआई के दिशानिर्देशों या नियमों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शामिल है उस समय, इस समझौते की समाप्ति के बावजूद।
10. आपसे अनुरोध है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि स्मार्ट पे कार्ड बताए गए महीने/वर्ष के अंतिम दिन तक वैध है। आप इसके द्वारा स्मार्ट पे कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर समाप्त होने पर नष्ट करने का वचन देते हैं। आपका नवीनीकृत स्मार्ट पे कार्ड आपके कार्ड खाते के संचालन के मूल्यांकन पर, एक्सिस बैंक के विवेक पर कार्ड की समाप्ति से पहले आपको भेजा जाएगा। एक्सिस बैंक समाप्ति पर आपके कार्ड को नवीनीकृत करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. प्रीपेड कार्ड में अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त या नहीं निकाली गई शेष राशि डिपॉज़िटर एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बैंक प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया राशि की किसी भी जब्ती से पहले ग्राहक को मोबाइल नंबर पर एसएमएस और/या ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा 45 दिन का अग्रिम संचार भेजेगा जो ग्राहक द्वारा सेवाओं के उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है।

12. कार्डधारक को प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया शेष राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी भी कारण से योजना को बंद किया जा रहा है या आरबीआई द्वारा इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है।
13. कार्डधारक क्रिष्टो मुद्रा की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेगा

व्यापारी प्रतिष्ठान उपयोग

1. यह कार्ड भारत में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है, जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे लोगो प्रदर्शित करते हैं।
2. कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल उन व्यापारी प्रतिष्ठानों में स्वीकार किया जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक इस तरह के लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कृपया ध्यान दें कि व्यापारी प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनलों पर स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग के लिए पिन की आवश्यकता नहीं है।
3. आपको चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर करना होगा और जब भी व्यापारी प्रतिष्ठानों में कार्ड का उपयोग किया जाता है तो चार्ज स्लिप की अपनी प्रति अपने पास रखनी होगी। एक्सिस बैंक चार्ज स्लिप की प्रतियां प्रस्तुत नहीं करेगा। कोई भी शुल्क पर्ची आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन जिसे साबित किया जा सकता है, क्योंकि आपके द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, आपकी देयता मानी जाएगी।
4. स्मार्ट पे कार्ड भारत में किसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे मर्चेन्ट प्रतिष्ठान में स्वीकार किया जाता है। एक्सिस बैंक आपके साथ व्यापारी के किसी भी व्यवहार के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें इस तरह से प्राप्त या पेशकश की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि आपको किसी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे कार्ड व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई शिकायत है, तो आपको व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ मामले को हल करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता आपको एक्सिस बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।
5. एक्सिस बैंक लेन-देन के मूल्य/लागत से अधिक किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और लेनदेन राशि के साथ आपके कार्ड खाते में डेबिट किया जाता है।
6. वस्तुओं/सेवाओं को रद्द करने के लिए एक खरीद और बाद में क्रेडिट दो अलग-अलग लेनदेन हैं। धनवापसी केवल आपके कार्ड खाते में जमा की जाएगी (कम रद्दीकरण शुल्क) जब भी यह व्यापारी

से प्राप्त होगा। यदि धनवापसी के दिन से 30 दिनों के भीतर आपके कार्ड खाते में क्रेडिट पोस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको व्यापारी से क्रेडिट नोट की एक प्रति के साथ एक्सिस बैंक को सूचित करना होगा।

7. कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर/फोन खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।
8. कार्ड का उपयोग विदेशी पत्रिकाओं/पत्रिकाओं की सदस्यता के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।

कार्ड बैलेंस और समाप्ति

1. कार्ड कार्ड बनाने की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
2. स्मार्ट पे कार्ड महीने के अंतिम दिन तक वैध होता है जैसा कि कार्ड पर समाप्ति तिथि में दर्शाया गया है।
3. कार्ड की समाप्ति की तारीख को या उसके बाद किसी भी बकाया राशि को धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के एक नए समान भुगतान साधन में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है।
4. आपके कार्ड में अधिकतम बकाया राशि किसी भी समय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।

एटीएम उपयोग

1. यह कार्ड भारत में सभी एक्सिस बैंक एटीएम और वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे एटीएम* में स्वीकार किया जाता है।
2. एक्सिस बैंक एटीएम से सभी नकद निकासी के लिए, निकासी के समय एटीएम द्वारा जारी किए गए किसी भी विवरण/रसीदों को निर्णायक माना जाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित और सूचित न किया गया हो। ऐसा कोई भी सत्यापन भी अंतिम और निर्णायक होगा और यह सत्यापित राशि कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगी।
3. एक्सिस बैंक किसी भी सेवा प्रदान करने में या उसके तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी विफलता एटीएम या कार्ड की किसी भी खराबी, धन की अस्थायी अपर्याप्तता, किसी भी विवाद या इसके नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) जिम्मेदार है।

4. एटीएम सेवाओं की उपलब्धता संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रावधान के अधीन है और यदि इन सेवाओं को बिना किसी सूचना के वापस ले लिया जाता है तो एक्सिस बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। आपके स्मार्ट पे कार्ड पर वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे एटीएम तक पहुंच बैंक और कंपनी के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है।

कार्ड निष्क्रियता

1. यदि एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होता है, तो कार्ड धारक को सूचित करने के साथ बैंक द्वारा कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. बैंक की शाखाओं और/या नामित व्यवसाय प्रतिनिधियों में बैंक द्वारा ग्राहक सत्यापन के बाद ही कार्ड को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
3. ऐसे कार्डों की सूचना उनके निर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी

फीस

1. एक्सिस बैंक कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना बाद की तारीख में शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस तरह की फीस, यदि कोई हो, और इसलिए लगाया जाता है, तो कार्डधारक की अनुमोदन/नवीकरण पर एक्सिस बैंक की प्रचलित दर पर आपके कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा। ये शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं। अन्य सेवाओं के लिए शुल्क भी इसी तरह प्रचलित दरों पर लगाया जाएगा।
2. आप किसी भी अवैध खरीद के लिए भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करने का वचन देते हैं यानी मौजूदा नियमों के अनुसार आरबीआई द्वारा अनुमत वस्तुओं/सेवाओं की खरीद।
3. नकद निकासी/शेष पूछताछ और/या जहां भी लागू हो, के लिए लेनदेन शुल्क नकद निकासी/शेष पूछताछ पोस्ट करते समय या जहां भी लागू हो, कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा।
4. स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग पर लागू शुल्क/शुल्क को कार्डधारक (कार्डधारकों) को पूर्व सूचना दिए बिना समय-समय पर एक्सिस बैंक द्वारा संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है।
5. एक्सिस बैंक समय-समय पर कार्ड पर लागू डेबिट लोडिंग/वार्षिक/नवीनीकरण शुल्क और अन्य सेवा प्रभारों का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. एक्सिस बैंक कार्ड के बंद होने/रद्द करने/सुविधा वापस लेने के समय कार्ड पर लागू बकाया राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शुल्क विवरण	स्मार्टपे कार्ड
वैधता	5 साल
नकद निकासी	हाँ
जारी करने की फीस	200 रुपये
वार्षिक शुल्क	200 रुपये
लोड हो रहा है शुल्क	20 रुपये
कार्ड बदलना	100 रुपये
मोचन शुल्क	100 रुपये
एटीएम नकद निकासी शुल्क- जिम्मेदारी	शून्य
एटीएम नकद निकासी शुल्क- ऑफस- प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	20 रुपये
गैर-वित्तीय लेनदेन - जिम्मेदारी - शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट	शून्य
गैर-वित्तीय लेनदेन - ऑफस - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट - प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	10 रुपये

- उल्लिखित सभी राशियाँ GST से अलग हैं

स्मार्ट पे कार्ड की विशेषताएं

बैंक समय-समय पर, अपने विवेक से, आपके स्मार्ट पे कार्ड पर विभिन्न सुविधाओं की पेशकश करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है। ये सभी सुविधाएं केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी, और बैंक किसी भी सेवा प्रदाता/व्यापारियों/आउटलेट/एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी उत्पाद या सेवाओं की प्रभावकारिता, दक्षता, उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है। विवादों (यदि कोई हो) को बैंक को शामिल किए बिना सीधे व्यापारी/एजेंसी आदि के साथ उठाया जाना चाहिए।

सूचना का प्रकटीकरण

1. एक्सिस बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आप किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे जो एक्सिस बैंक आवश्यक समझता है। आप एक्सिस बैंक को किसी भी माध्यम से या किसी भी स्रोत से आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करेंगे। यदि डेटा प्रदान नहीं किया गया है या गलत है, तो एक्सिस बैंक अपने विवेक से कार्ड के नवीनीकरण से इनकार कर सकता है या कार्ड को तुरंत रद्द कर सकता है।
2. एक्सिस बैंक सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विंग को ग्राहक सूचना का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. एक्सिस बैंक कार्डधारक के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में इसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त हो सकती है, अन्य संस्थानों को सख्त विश्वास के साथ प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खोया या चोरी हुआ कार्ड

1. स्मार्ट पे कार्ड के गुम होने या चोरी होने की सूचना तुरंत एक्सिस बैंक को देनी चाहिए। हालांकि आपातकालीन संपर्क नंबर के माध्यम से नुकसान या चोरी की सूचना दी जा सकती है, आपको जल्द से जल्द एक्सिस बैंक को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी चाहिए। उक्त लिखित पुष्टि के साथ स्वीकृत पुलिस शिकायत की एक प्रति होनी चाहिए।
2. आप इसके द्वारा एक्सिस बैंक को किसी भी देयता (सिविल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं जो कार्ड के नुकसान या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकता है, यदि यह खो जाता है और एक्सिस बैंक को सूचित नहीं किया जाता है या एक्सिस बैंक को सूचित करने से पहले खो जाता है और दुरुपयोग किया जाता है।
3. बशर्ते आपने सभी मामलों में नियमों और शर्तों का अनुपालन किया हो, लागू शुल्क पर एक्सिस बैंक के विवेकाधिकार पर एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जा सकता है।
4. यदि आप बाद में कार्ड पुनर्प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। कृपया कार्ड को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कई टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें।

बयान और रिकॉर्ड

1. कार्डधारक किसी भी समय एक्सिस बैंक फोन बैंकिंग सेवा पर कॉल करके या एक्सिस बैंक एटीएम पर मिनी स्टेटमेंट सुविधा का उपयोग करके अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है।

कार्डधारक एक्सिस बैंक द्वारा पेश किए गए कॉर्पोरेट पोर्टल का उपयोग करके अपना विवरण ऑनलाइन भी देख सकता है।

2. कार्ड के उपयोग द्वारा संसाधित लेनदेन का एक्सिस बैंक का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

विवाद

1. खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर के साथ एक शुल्क पर्ची और उस पर नोट किए गए कार्ड नंबर के साथ एक्सिस बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा किए गए दायित्व की सीमा के रूप में निर्णायक साक्ष्य होगी और एक्सिस बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक ने कार्डधारक की संतुष्टि के लिए खरीदी गई सेवा का खरीदा/लाभ उठाया गया सामान प्राप्त कर लिया है।
2. एक्सिस बैंक असहमति की सूचना प्राप्त होने के दो महीने के भीतर खाता विवरण में इंगित लागू शुल्क के साथ या ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्धारित के साथ एक पीड़ित कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए वास्तविक और उचित प्रयास करेगा। यदि इस तरह के प्रयास के बाद एक्सिस बैंक यह निर्धारित करता है कि शुल्क सही है, तो वह कार्डधारक को इसकी सूचना देगा।
3. एक्सिस बैंक कार्ड का सम्मान करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा इनकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।
4. यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार और शासित होगा। सभी विवाद मुंबई, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, भले ही किसी अन्य न्यायालय के पास इस मामले में समवर्ती क्षेत्राधिकार हो या नहीं।
5. कार्डधारक बकाया राशि के संग्रह से जुड़ी सभी लागतों, कानूनी खर्चों (यदि मामले को किसी एजेंट को संदर्भित करना आवश्यक हो जाना चाहिए), या जहां विवाद के समाधान में कानूनी संसाधनों का उपयोग किया गया है, के लिए उत्तरदायी होगा।

सामान्य

1. आप तुरंत एक्सिस बैंक को अपने रोजगार और/या कार्यालय और/या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में किसी भी बदलाव के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे।
2. एक्सिस बैंक कार्डधारक को नोटिस देने पर किसी भी नियम और शर्तों, नीतियों, सुविधाओं और लाभों में से किसी को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। स्मार्ट पे कार्ड का

उपयोग उस तारीख के बाद किया जाएगा, जिस पर इनमें से कोई भी परिवर्तन प्रभावी होना है, इस तरह के परिवर्तनों के कार्डधारक द्वारा आरक्षण के बिना, स्वीकृति का प्रमाण माना जाएगा

3. डाक द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस को कार्डधारक द्वारा लिखित रूप में एक्सिस बैंक को दिए गए पते पर अधिसूचना पोस्ट करने से 7 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा। ऐसे माध्यमों से परिवर्तनों का प्रकाशन जैसा कि एक्सिस बैंक उचित समझे, कार्डधारक को प्रभावी नोटिस देगा।
4. यदि कोई कार्डधारक, कार्ड का उपयोग करके, उपलब्ध कार्ड शेष राशि से अधिक राशि निकालता है, तो कार्डधारक एक्सिस बैंक को ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, के साथ पूरी राशि का बिना शर्त भुगतान करेगा, जो एक्सिस बैंक द्वारा तय की जाएगी। हालांकि, इसे एक समझौते के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, या तो व्यक्त या निहित है कि एक्सिस बैंक किसी भी ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्रदान करने के लिए बाध्य है।
5. एक्सिस बैंक कार्डधारकों को छूट जैसे लाभ प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यदि सेवा किसी भी तरह से कमी या अन्यथा असंतोषजनक है तो एक्सिस बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

शिकायतें, अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए बैंक या ग्राहक की देयता इस प्रकार होगी:

1. एक ग्राहक की शून्य देयता- शून्य देयता के लिए एक ग्राहक की पात्रता उत्पन्न होगी जहां अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखित तरीके से होता है:
 - बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेन-देन की सूचना दी गई हो या नहीं)
 - थर्ड पार्टी ब्रीच जहां कमी न तो बैंक के पास है और न ही ग्राहक के पास है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है, और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक से संचार प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है।
2. ग्राहक की सीमित देयता- एक ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा:
 - ऐसे मामलों में जहां नुकसान किसी ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां उसने भुगतान क्रेडेंशियल्स साझा किए हैं, ग्राहक पूरे नुकसान को तब तक वहन करेगा जब तक कि वह

बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता। अनधिकृत लेन-देन की सूचना देने के बाद होने वाली किसी भी हानि को बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

- ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक के पास है और न ही ग्राहक के पास है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब इस तरह के लेनदेन के बैंक को सूचित करने में ग्राहक की ओर से (बैंक से संचार प्राप्त होने के बाद चार से सात कार्य दिवसों का) देरी होती है, ग्राहक की प्रति लेनदेन देयता लेनदेन मूल्य या 10,000 रुपये जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- 3. यदि ग्राहक अनधिकृत लेन-देन के संबंध में बैंक से संचार प्राप्त करने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक दायित्व का निर्धारण बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा। बैंक बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इसका मूल्यांकन और निर्धारण करेगा सहायता के लिए, www.axis.bank.in/support पर जाएं वृद्धि विवरण के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axis.bank.in) पर जाएं और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें। आप हमारे कस्टमर केयर सर्विस नंबर 022-67987700 से भी संपर्क कर सकते हैं।
- 4. बैंक उन ग्राहकों को एटीएम नकद निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान नहीं करेगा, जो बैंक को वैध मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करते हैं।
- 5. आपके निर्देशों के सभी रिकॉर्ड और बैंक द्वारा बनाए गए अन्य विवरण (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में, आपके विपरीत, ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- 6. उक्त खाते के संबंध में रिपोर्टिंग और/या खाते पर किए गए लेन-देन या किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपकी देयता होगी समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में कोई भी परिवर्तन उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।

समाप्ति

1. एक्सिस बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय दी जाने वाली स्मार्ट पे कार्ड या किसी भी अन्य सेवा को रद्द करने/निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2. यदि कार्डधारक अपनी स्मार्ट पे कार्ड सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो जारी किया गया कार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा। कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग करना बंद

कर देना चाहिए और स्मार्ट पे कार्ड को नष्ट करना और वापस कर देना चाहिए। किसी भी बकाया कार्ड लेनदेन के मामले में जो अभी तक कार्ड खाते में डेबिट नहीं किया गया है, एक्सिस बैंक द्वारा उसे अपनी धनराशि वापस करने से पहले शेष राशि से निकाल दिया जाएगा।

3. इस घटना में कि कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लेता है, कार्डधारक एक्सिस बैंक को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देगा और तुरंत कार्ड और किसी भी अतिरिक्त कार्डधारक कार्ड (यदि आवश्यक नहीं है) को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कई टुकड़ों में कटे हुए एक्सिस बैंक को वापस कर देगा। कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद स्मार्ट पे कार्ड पर किए गए सभी कार्ड सुविधाओं और संबंधित शुल्कों के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा, इन नियमों और शर्तों की प्रयोज्यता की समाप्ति के बावजूद। कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वे दुरुपयोग/धोखाधड़ी के उपयोग के परिणामस्वरूप हों या न हों और बैंक को कार्ड के नष्ट होने के बारे में सूचित किया गया है या नहीं।
4. स्मार्ट पे कार्ड एक्सिस बैंक की संपत्ति है और अनुरोध पर तुरंत और बिना शर्त एक्सिस बैंक के एक अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि अपना कार्ड सौंपने से पहले बैंक अधिकारी की पहचान आपके द्वारा स्थापित की गई है।
5. एक्सिस बैंक तत्काल प्रभाव से स्मार्ट पे कार्ड सुविधा को समाप्त करने का हकदार होगा और निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर कार्ड वापस कर दिया जाएगा:
 - यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता।
 - एक्सिस बैंक के साथ किए गए किसी करार या प्रतिबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के तहत चूक की घटना।
 - कार्डधारक किसी भी दिवालियापन, दिवालियापन कार्यवाही या इसी तरह की कार्यवाही का विषय बन रहा है।
 - कार्डधारक की मृत्यु।
6. स्मार्ट पे कार्ड को उस तारीख से पहले एक्सिस बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए, जिस पर कार्डधारक द्वारा कार्ड पर लागू सुविधाओं, शुल्क या नियमों और शर्तों में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन को अस्वीकार करने की स्थिति में प्रभावी होना है।
7. यदि कार्डधारक को पिछले 6 महीनों से कॉर्पोरेट से कार्ड में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं हुआ है और कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि शून्य और/या कार्डधारक से वसूल किए जाने वाले वार्षिक शुल्क से कम

है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी कारण बताए कार्ड या दी जाने वाली किसी भी अन्य सेवा को रद्द करने/निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये नियम और शर्तें और/या लेन-देन भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और मुंबई की सभी अदालतों के पास कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामलों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।